

दुपम

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ़

15/07/15

पत्रपत्नी प्राथमिक जम्मे वकील निसान देवत  
 का अवेदन देना है। प्र प्राप्त हुई वकील  
 प्राथमिक वकील ने अवेदन प्रस्तुत कर विवेक  
 किया कि प्रकल्पन के अन्तर्गत राजीनता के  
 द्वारा ही अवेदन का अवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है  
 जो अवेदन के अन्तर्गत ही प्रस्तुत किया जा सकता है  
 है अतः अवेदन का अवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है  
 अवेदन प्रस्तुत करने के लिए निसान देवत को प्रस्तुत  
 करना है।

उपखण्ड अधिकारी, दातारामगढ़